8 (प) – 6

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 988) पटना, मंगलवार, 5 दिसम्बर 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
5 दिसम्बर 2023

सं० 15/बि0स0से0–02–02/2008–22093/सा.प्र.—**बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007** (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 19(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–**
   (i) यह नियमावली ***"बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023"*** कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।
   (iii) यह बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी होगा।
2. **बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–4(1) का संशोधन।**– उक्त नियमावली के नियम–4(1) की तालिका क्रम संख्या–01 में अंकित सेवा के मूल कोटि के पदनाम को ***"सहायक"*** के स्थान पर ***"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी"*** के रूप में संशोधित किया जाता है।
3. ***बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010*** (समय–समय पर यथासंशोधित) में, जहाँ भी ***"सहायक"*** शब्द अंकित है, उसे ***"सहायक प्रशाखा पदाधिकारी"*** शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफ़रान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

5 दिसम्बर 2023

सं० 15/बि०स०से०–02–02/2008–22094/सा.प्र. दिनांक 5 दिसम्बर 2023, अधिसूचना संख्या 20093 दिनांक 5 दिसम्बर 2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफ़रान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 5th December 2023

No.-15/B.S.S.-02-02/2008-22094/GAD—In exercise of powers conferred by Section 19(1) of the Bihar Secretariat Service Act, 2007 (Bihar Act 3, 2008) (as amended from time to time) State Government makes following Rules to amend the Bihar Secretariat Service Rules, 2010.-

1. ***Short title, extent & commencement.—***
   (i) These Rules may be called ***"Bihar Secretariat Service (Amendment) Rules, 2023."***
   (ii) It Shall extend to the Departments of the State Government and its Attached Offices.
   (iii) It shall come into force from the date of gazette notification of ***"Bihar Secretariat (Amendment) Act, 2023."***
2. ***Amendment in the Rules 4(1) of Bihar Secretariat Service Rules, 2010.—*** The name of basic grade post of the Service ***"Assistant"*** as mentioned sl. no.-1 of table of rules 4(1) is hereby substituted by ***"Assistant Section Officer"***.
3. ***In the Bihar Secretariat Service Rules, 2010*** (as amended from time to time), the word ***"Assistant"***, wherever mentioned, is substituted by the word ***"Assistant Section Officer"***.

By the order of the Governor of Bihar,
GHUFRAN AHMED,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)988-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in